



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-2, भूतल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2221769, ई मेल-des.vitalcg@gov.in, des.vital13@gmail.com

क्रमांक 1853/2021/आ.सा.सं./जीवनांक/F.No.212 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/11/2021

प्रति,

कलेक्टर एवं
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय : जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु विलंबित पंजीयन शुल्क के संबंध में।

संदर्भ : 1) छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय के आदेश पत्र क्रमांक एफ 04-02/2019/23 दिनांक 02/11/2021
2) संचालनालय के पत्र क्रमांक 1378 दिनांक 04/10/2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 13 (1) - (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार तलाशी करने, उद्धरण या अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क को दिनांक 05-11-2019 से 05-11-2021 तक की अवधि के लिए विलोपित किया गया है।

उक्त आदेश में निर्धारित अवधि के समाप्ति पश्चात् विलंबित पंजीयन शुल्क हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 1378 दिनांक 04/10/2021 में दिए गए निर्देशानुसार शुल्क संबंधी कार्यवाही किया जाना है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

संचालक एवं
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ क्रमांक 1854 /2021/आ.सा.सं./जीवनांक/F.No.212 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/11/2021
प्रतिलिपि -

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जियोसांका, जिला-समस्त (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक एवं
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002.

आवक क्र.: 2377
दिनांक 16.11.2021

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02-11-2021.

क्रमांक एफ 04-02/2019/23, -राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 13 (1)-(क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार तलाशी करने, उद्धरण या अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क को दिनांक 05-11-2019 से 05-11-2021 तक की अवधि के लिए विलोपित किया जाता है।

3/ उक्त सहमति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 748/एफ-2021-23-00013/ब-1, दिनांक 01-10-2021 के आधार पर प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ई.आर. कपाले)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 04-02/2019/23, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02-11-2021.
प्रतिलिपि:-

1. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110 066.
 2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
 3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइन्ट, रायपुर,
 4. मुख्य रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) एवं संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(ई.आर. कपाले)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

DDC (Vital)

15 NOV 2021

Inv.

16.11.2021



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-2, भूतल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2221789, ई मेल-des.vitaleg@gov.in, des.vital13@gmail.com

क्रमांक 1378/2021/आ.सा.सं./जीवनांक/F.No.22C नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/10/2021

प्रति,

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : जीवनांक संबंधी शुल्क के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 1354, दिनांक 03/08/2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसमें जन्म-मृत्यु पंजीयन रिकार्ड तलाशी एवं अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्धारित शुल्क की जानकारी हेतु मार्गदर्शन चाहा गया था।

तत्संबंध में जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क के शिथिलीकरण हेतु वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः जीवनांक संबंधी शुल्क के लिए जब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते, तब तक "जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969" एवं "छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार शुल्क संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ क्रमांक 1379/2021/आ.सा.सं./जीवनांक/F.No.22C
प्रतिलिपि -

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/10/2021

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, जिला-समस्त (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़